

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई ए एस, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 308/2024 (धारा 14 सेक्युरिटीज ऐक्ट)

कोटक महिन्दा बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस नम्बर 27, बी के सी रोड-27 जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ना  
काम्प्लेक्स बांद्रा ईस्ट, मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. राजेश कुमार यादव पुत्र राम सहाय यादव,
2. कविता देवी पत्नी राजेश कुमार यादव,
3. राम सहाय यादव पुत्र श्री मोती राम यादव,  
प्लॉट नं. 31-ए एवं 32-ए, स्कीम करनी उमा विहार-ए, गोकुलपुरा, जयपुर।
4. मैसर्स राजेश के. जेम्स जरिये प्रोपराईटर श्री राजेश कुमार यादव,  
पता :- 1383-ए, निवाई महंत का रास्ता, रामगंज बाजार, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitization and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002

उपरिस्थित :- श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 02.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वित्तीय संस्था फुल्टन इंडिया होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.04.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राम सहाय यादव के स्वामित्व की सम्पत्ति 1. प्लॉट नं. 31-ए, स्कीम श्री करनी उमा विहार-ए, गोकुलपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 194.40 वर्गगज, 2. प्लॉट नं. 32-ए, स्कीम श्री करनी उमा विहार-ए, गोकुलपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 116.60 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 37,13,925/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। फुल्टन इंडिया होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड ने अप्रार्थी का ऋण खाता दिनांक 28.03.2023 को जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 05.01.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

24  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर



2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को राशि 37,13,925/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 45,91,011/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 05.01.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री राम सहाय यादव के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति
1. प्लॉट नं. 31-ए, स्कीम श्री करनी उमा विहार-ए, गोकुलपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 194.40 वर्गगज,
  2. प्लॉट नं. 32-ए, स्कीम श्री करनी उमा विहार-ए, गोकुलपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 116.60 वर्गगज
- का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल

दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर